न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 37/2021 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2021/47

गंगा देवी पत्नि नत्थाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 06.04.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ के आदेश दिनांक 10.10.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.03.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि मौजारोही सूडसर के खसरा नंबर 159 तादादी 3.24 हैक्ट., खसरा नंबर 197 तादादी 7.89 हैक्ट. एवं खसरा नंबर 504/260 तादादी 0.25 हैक्ट. खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 504/260 की 0.25 हैक्ट. भूमि को उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ ने दिनांक 10.12.2010 को कृषि भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के आदेश जारी किये। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.03.2020 द्वारा अपीलांट के खसरा नंबर 504/260 की 0.25 हैक्ट. भूमि में से 0.0220 हैक्ट. भूमि को गैर मुमकिन रास्ता अंकन करने के आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जारी कर दिए। उक्त आदेश दिनांक 11.10.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.03.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व बिना किसी प्रकार की पत्रावली का संधारण किये, केवल मात्र पटवारी द्वारा इकतरफा तौर पर तैयार किये गये प्रस्ताव पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना सीधे ही रास्ता अमलदरामद के आदेश प्रदान कर दिए। आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। वास्तव में अपीलांट की वादगत भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता न तो है और न ही कभी प्रचलन में रहा। अपीलांट ने दिनांक 10.12.2010 को खसरा नंबर 504/260 की 0.25 हैक्ट. भूमि का कृषि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय को संपरिवर्तित भूमि में किसी भी प्रकार के रास्ते के अंकन के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट की खसरा नंबर 504/260 की वाणिज्यिक संपरिवर्तित वादगत भूमि में मौके पर धर्मकांटे का वाणिज्यिक कार्य पिछले 10 वर्षों से लगातार चल रहा हैं। भूमि पर किसी प्रकार का कोई रास्ता प्रचलन में नहीं रहा हैं बल्कि अपीलांट की भूमि के उत्तर की तरफ खसरा नंबर 340 में रास्ता प्रचलन में रहा है। इसप्रकार आदेश जैर अपील मनमाने व स्वैच्छाचारी तरीके से मात्र पटवारी की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ ने संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 के द्वारा धारा 131, 132 व 136 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिनांक 11.10.2019 व संशोधित आदेश दिनांक 11.03.2020 को गैर मुमकिन रास्ते के अंकन के आदेश जारी किये है, जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के खसरा नंबर 504/260 की 0.25 हैक्ट. भूमि में से 0.0220 हैक्ट. भूमि है। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ ने दिनांक 11.10.2019 व संशोधित आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

11.03.2020 को उक्त विवादित खसरे में स्थित संपरिवर्तित भूमि पर गैर मुमकिन रास्ते के अंकन के आदेश जारी किये। इस संदर्भ में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.03.2022 को तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूगंरगढ़ से मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय फोटोग्राफ चाहने पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.03.2022 द्वारा अवगत कराया कि खसरा नंबर 679/504 में 0.0220 हैक्ट. में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त गैर मुमकिन रास्ता वर्तमान में खसरा नंबर 679/504 में न चलकर मौके पर खसरा नंबर 340 में चल रहा हैं, जो उत्तर दिशा में स्थित है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ ने आदेश दिनांक 11.10.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.03.2020 अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किये, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 11.10.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 11.03.2020 को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर